फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री नानालाल बनाम विपक्षी श्री नारू व अन्य

किस्म मुकदमा – 128 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या 113/24

क्रमांक	कार्यवाही विवरण

दिनांक : 06.03.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 से 8 के सम्मन वाद तामिल प्राप्त। विपक्षी संख्या 1, 3, 5 द्वारा उपस्थित होकर पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। विपक्षी संख्या 2, 4, 6, 7 अनुपस्थित हैं। आवाजे दिलवाई गई। अत: अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 2, 4, 6, 7 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। विपक्षी संख्या 8 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। विपक्षी संख्या 8 का जवाब का अवसर बंद किया जाता हैं। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीगण खातेदार हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पडौसी विपक्षीगण है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर आये दिन विवाद होता है जिससे प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 1, 3, 5 द्वारा पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। शेष विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण खातेदार हैं। खातेदार को अपनी भूमि पर पत्थरगढी करवाये जाने का पूर्ण अधिकार हैं। विपक्षी संख्या 1, 3, 5 द्वारा पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। प्रकरण में प्रार्थीगण व विपक्षीगण की भूमि के बीच में पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से विवाद समाप्ति के लिए प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अत: प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा खेरोदा पटवार हल्का खेरोदा, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की जमाबंदी 2078–81 की खाता संख्या नया 1299 की आराजी न. 2429, 2430 किता 2 रकबा 0.8500 है. भूमि की चारो दिशाओं सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को 1000/– एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अत: यदि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा नहीं है तो प्रार्थीगण कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थीगण अदा करेगें।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:18:22 IST
Reason: SelfAttested